



UPSI010079002023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू) सीतापुर

सत्र परीक्षण संख्या-1699/2023

राज्य बनाम मो0 सूफियान

मुकदमा अपराध संख्या-259/2023

अन्तर्गत धारा-419, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता

थाना-बिसवा, सीतापुर

### आरोप

मैं, **नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी** अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (ओ0ए0डब्लू) सीतापुर आप अभियुक्त मो0 सूफियान को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1-यह कि दिनांक-15.01.2023 को किसी समय, बहद स्थान-चन्दन महमूदपुर पुल के पास, थाना-बिसवा, जिला-सीतापुर सीमाक्षेत्र में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र-19 वर्ष, जो कक्षा-10 की छात्रा थी और ब्रिटिश एकेडमी हाथी गेट के पास कम्प्यूटर की कोचिंग करती थी, को उक्त अभियुक्त हाथीगेट से चन्दन महमूदपुर पुल के पास ले गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध जंगल में बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2-यह कि उक्त तिथि के पश्चात् किसी समय, आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा नजमुल हसन की पुत्री उक्त पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आपराधिक अभिप्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अस्तु एतद्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

(JO CODE : UP02696)

दिनांक-22.09.2023

अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)  
सीतापुर

आरोप अभियुक्त को पढ़कर खुले न्यायालय में सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त विरचित आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की माँग की।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

(JO CODE : UP02696)

दिनांक-22.09.2023

अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)  
सीतापुर

उदित/-